कार्यालय : निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 / सदस्य सचिव, यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग–2024 इन्दिरा भवन, आठवॉ तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

विज्ञप्ति

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग–2024 के तृतीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय सारणी।

तृतीय काउन्सिलिंग चक्र		
क0सं0	विवरण	दिनॉक / समय
1	ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनॉक 04 / 11 / 2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से दिनॉक 05 / 11 / 2024 को सायं 05:00 बजे तक
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनॉक 04 / 11 / 2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से दिनांक 06 / 11 / 2024 को मध्याह्न 12:00 बजे तक
3	आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक 05 / 11 / 2024 से दिनांक 06 / 11 / 2024 (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनॉक 07 / 11 / 2024 अपराह्न 02:00 बजे
5	ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग (वरीयता विकल्प) भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि	मेरिट सूची (State Merit List) के प्रकाशन के बाद दिनॉक 07 / 11 / 2024 से दिनॉक 09 / 11 / 2024 को मध्याह्न 12:00 बजे तक
6	अनंतिम सीट आवंटन सूची / सूचियों का प्रकाशन	दिनॉक 09 / 11 / 2024 सायंकाल तक
7	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक 11 / 11 / 2024 से दिनॉक 12 / 11 / 2024 (प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)
8	आवंटन पत्र डाउन लोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनॉक 11 / 11 / 2024 से दिनांक 14 / 11 / 2024 को सायं 05:00 बजे तक

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम / द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग मे पंजीकरण नहीं कराया था, वह काउंसिलिंग–2024 की वेबसाइट https://www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पर पंजीकरण शुल्क रूपये–2000 / –जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से सीट आवंटित नही हुई है, वे तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्कयता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे च्वाईस फिलिंग कर सकेंगे।
- AACCC द्वारा स्टेट काउंसिलिंग के लिये घोषित अनर्ह अभ्यर्थी (In-eligible candidates) तृतीय चक की काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- **तृतीय चक की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अर्ह अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना (choice filling) अनिवार्य है।**
- प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन (reshuffling) के लिये तृतीय चक्र में च्वाईस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते है। अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प न भरें, अन्यथा ऐसी दशा में यदि उसको पूर्व आवंटित सीट फिर से आवंटित हो जाती है, तो उसे पुनः प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जायेगी तथा उस सीट पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- प्रथम चक एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउन्सिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
- तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक की काउंसिलिंग की भॉति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नही है।

- अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि (नोडल सेन्टर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त) विभाग के पक्ष में जब्त हो जायेगी।
- स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 01.04.2024 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। **भारत सरकार के सेवा योजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी/उपश्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जायेगी।
- अर्हता का प्रमाणीकरण संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने समस्त अभिलेख, मूल रुप में लेकर निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मान्य मूल अभिलेख के अभाव में अर्हता प्रमाणित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में तद् सम्बन्धित लाभ समाप्त अथवा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- तृतीय चक्र की आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में आल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की गई है। द्वितीय चक्र के उपरान्त अवशेष सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- **ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।**
- **Help Line Number (Mob.)   : +91-7376520591, +91-7376524687**

Email ID   :upayushcounselling2022@gmail.com

दिनांक 29.10.2024

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक, होम्योपैथी
उ0प्र0/सदस्य सचिव।